

Regarding protecting Constitutional Rights of Tribal Communities

माननीय अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोट ।

श्री राजकुमार रोट (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश के करोड़ों आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । यहां संविधान का अनुच्छेद 244(1), पांचवी अनुसूची का विशेष अधिकार, जो आदिवासी समुदाय को मिला है, वह आजादी से पूर्व अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने वाले लाखों आदिवासियों की शहादत का परिणाम है । संविधान यह कहता है कि देश की पांचवी अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं, उन पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में यूडीए, नगर पालिका, नगर परिषद अर्थात् नगर निकाय का विस्तार या गठन करना असंवैधानिक है । अगर यह करना भी है, तो अनुच्छेद 243-जेडसी (1) और (3) कहता है कि आदिवासियों के अधिकार, संस्कृति परंपरा और स्वशासन की सुरक्षा करते हुए संसद विशेष कानून लाए । (व्यवधान) वर्ष 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन वर्ष 2000 तक किसी को ध्यान नहीं आया और आदिवासियों की चिंता नहीं हुई । (व्यवधान) वर्ष 2001 में नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र विस्तार विधेयक, 2001 यानी मेसा (MESA) कानून राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया । (व्यवधान)